

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 1975/माघ 16, 1896

No. 30] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 1975/MAGHA 16, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

RESOLUTION

New Delhi, the 5th February 1975

SUBJECT.—*Constitution of Committee on Drugs and Pharmaceuticals Industry.*

No. 3(26)/73-Ch.III.—In partial modification of the Ministry of Petroleum and Chemicals Resolution No. S.O. 98(E), dated the 8th February, 1974, the Government of India have decided that the Committee on Drugs and Pharmaceuticals Industry shall submit its final report to Government by 8th April, 1975.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all the Ministries of Government of India, all State Government, the Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous and Accountant General, Central Revenues

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VINOD KUMAR, Jr Secy

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1975

विषय.—श्रीवध एवं भेषज उद्योग के बारे में समिति का गठन।

सं० 3(26)/73-कैमिकल III.—पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के दिनांक 8 फरवरी 1974 के संकल्प संख्या एचओ 98 (ई) का आंशिक सशोधन करते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि श्रीवध एवं भेषज उद्योग के बारे में गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट 8 अप्रैल 1975 तक भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, समस्त सरकारों, भारत के निर्यंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखापाल वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व, को भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

विनोद कुमार, मनुष्य सचिव।